



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. राजेश्वर सिंह

Phone No.: 07152-242812

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

Dr. Rajeshwar Singh

Assistant Registrar (Department of Examination)

क्रमांक: 04/परी/स.प.(नवंबर-2026)/421 4623

दिनांक: 23.10.2026

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/केंद्रों के अंतर्गत संचालित स्नातक कार्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तीन वर्ष के अध्ययन के उपरांत कार्यक्रम से निकास (Exit) हेतु आवेदन किए बिना ही परास्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश ले चुके हैं। ऐसे विद्यार्थियों के संबंध में परीक्षा समिति की दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को संपन्न बैठक के मद संख्या 14 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

- (क) तीन वर्षों तक स्नातक कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात परास्नातक में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से निकास आवेदन (Exit application) प्राप्त कर निकास संबंधी अधिसूचना जारी होने के पश्चात परास्नातक के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।
- (ख) जो विद्यार्थी तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूर्ण किए बगैर परास्नातक में प्रवेश ले चुके हैं, ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने की अनुशंसा की जाती है।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।

(डॉ. राजेश्वर सिंह)

प्रतिसूचनार्थ (ई-मेल के माध्यम से):-

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता कार्यालय
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय
5. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/अकादमिक निदेशक/क्षेत्रीय केंद्र प्रभारी
6. प्रभारी, अकादमिक विभाग-आवश्यक कार्यवाही करने हेतु
7. प्रभारी, लीला- विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. संबंधित पत्रावली।